कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या— /स0सु0/ई—127121/1—8(259)/2025 दिनांक मई, 2025

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा)
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
उत्तराखण्ड।

विषयः आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने हेतु ऑडियों क्लिप के द्वारा कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से प्रचार—प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या—170177/स0सु0/ई—127121/1—8(259)/2025 दिनांक 02—05—2025 के माध्यम से निदेशक, शहरी विकास विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑडियों क्लिप की पैन ड्राईव इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी कि कृपया नगर निगम/नगर पालिकाओं के अन्तर्गत संचालित कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से उक्त ऑडियों क्लिप का प्रसारण किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

इस कार्यालय द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—449/836/एसबीएम—2/2021—22/आईईसी दिनांक 08—05—2025 के द्वारा आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जानकारी/जागरूकता हेतु आडियो क्लिप का डोर—टू—डोर हेतु संचालित कूड़ा वाहनों के माध्यम से वृहत प्रसारण के संबंध में समस्त नगर निगम एवं नगरपालिक परिषद/नगर पंचायत हो निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में ऋषिकेश, उत्तरकाशी एवं नन्दप्रयाग से क्रियान्वयन की वीडियो क्लिप भी प्राप्त हुई है।

अतः संदर्भित पत्रों की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि अपने संभाग/उपसंभाग के क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों से समन्वय करते हुए नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार—प्रसार कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या/वीडियो क्लिप भी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न—यथोक्त।

Digitally signed by
SANAT KUMAR SINGH
Date: 13-05-2025
14:28:35

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या— /स0सु0/ई—127121/1—8(259)/2025 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वैयक्तिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त को आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

By Email

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62 राजपुर रोड, देहरादून–248001
Email – sbmurbaninfo@gmail.com, Facebook: /UDDUttarakhand

पत्रांकः–449/836/SBM-2/2021-22/IEC

दिनांक :– 08 मई, 2025

सेवा में,

1. नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

2. अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

विषय– आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जानकारी/जागरूकता हेतु ऑडियों क्लिप का डोर–टू–डोर हेतु संचालित कूड़ा वाहनों के माध्यम से वृहत प्रसारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा ऑडियों क्लिप उपलब्ध कराएं गए हैं, नगर निकायों में संचालित कूड़ा वाहनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशों का प्रसारण करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में समस्त नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों से अपेक्षा है कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑडियो क्लिप को आम जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जानकारी/जन–जागरूकता हेतु डोर–टू–डोर के लिए संचालित कूड़ा वाहनों के माध्यम से प्रसारित कर इस महत्वपूर्ण जनहित के कार्य में योगदान हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। समस्त निकायों को ऑडियों क्लिप निकायों के ई–मेल तथा विभागीय व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(डॉ० ललित नारायण मिश्र),
अपर निदेशक।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।

(डॉ० ललित नारायण मिश्र),
अपर निदेशक।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
Email-rscelluk@gmail.com

संख्या 170177 /स0सु0/ई–127121/1–8(259)/2025 दिनांक 02 मई, 2025

सेवा में,
निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने हेतु ऑडियों क्लिप के द्वारा कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि देश के साथ–साथ राज्य में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2024 में राज्य में कुल 1747 वाहन दुर्घटनाओं में 1090 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 1547 व्यक्ति घायल हुए है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा भी समय–समय पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाने के निर्देश दिये गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि काफी संख्या में दुर्घटनाएं वाहन चालक की लारवाही अथवा तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण घटित हो रही है। अतः जनसहभागिता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। यद्यपि विभाग स्तर पर समाचार पत्र विज्ञापन, सोशल मीडिया, वीडियो क्लिप्स, एफएम रेडियो/ओहो रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, परन्तु उक्त प्रयास से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः जनजागरूकता को और अधिक विस्तार दिये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया कि यदि नगर निगम की कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाए तो इससे अधिक जनसंख्या तक सड़क सुरक्षा संदेशों को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। अतः आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने हेतु **राज्य में नगर निगम/नगर पालिकाओं के अन्तर्गत संचालित कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित ऑडियों क्लिप द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने का प्रस्ताव है।**

अतः सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑडियों क्लिप की पैन ड्राईव इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया नगर निगम/नगर

पालिकाओं के अन्तर्गत संचालित कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से उक्त ऑडियों क्लिप का प्रसारण किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
SANAT KUMAR SINGH
Date: 02-05-2025
13:19:31

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /स0सु0/ई–12505/1–8(170)/2025 समदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।